[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं.34/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 15 सितंबर, 2017

सा.का.नि. (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इमसें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 में,--

(i) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(**3क**). उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसे नियम 24 के अधीन अनंतिम आधार पर रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है या जिसने नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है, 1 अक्तूबर, 2017 से इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02** में सामान्य पोर्टल पर या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संसूचना फाइल करके धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा और वह उक्त तारीख से 44 दिन की अवधि के भीतर **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में एक विवरण प्रस्तुत करेगा:

परंतु उक्त व्यक्तियों को **प्ररूप जीएसटी आईटीसी-03** में विवरण प्रस्तुत कर देने के पश्चात् प्र**रूप जीएसटी टीआरएएन-1** में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (5) में, "या उपनियम (3)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या उपनियम (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

(3) मूल नियमों में नियम 120 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"120क. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने नियम 117, नियम 118, नियम 119 और नियम 120 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्र**रूप जीएसटी टीआरएएन-1** में इलैक्ट्रानिक रूप से घोषणा प्रस्तुत की है वह ऐसी घोषणा को एक बार पुनरीक्षित कर सकेगा और इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि जो इस निमित्त आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए **प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1** में पुनरीक्षित घोषणा प्रस्तुत करेगा ।";

(4) मूल नियमों में नियम 122 में, खंड (ख) में, "राज्य कर या केन्द्रीय कर आयुक्त" शब्दों के पश्चात्, "कम से कम एक वर्ष के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(5) मूल नियमों में, नियम 124,--

(i) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(3) तकनीकी सदस्य को मासिक वेतन और ऐसे अन्य भत्तों और फायदों का संदाय किया जाएगा, जो उसे तब अनुज्ञेय हैं, जब वह भारत सरकार में समतुल्य समूह 'क' पद धारण कर रहा हो:

परंतु जब किसी सेवानिवृत्त अधिकारी का तकनीकी सदस्य के रूप में चयन किया जाता है तो उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन को पेंशन की रकम से कम करके समतुल्य मासिक वेतन का संदाय किया जाएगा ।";

(ii) उपनियम (4) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय अध्यक्ष की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी ।";

(iii) उपनियम (5) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय परिषद की सिफारिशों पर सुने जाने का अवसर दिए जाने की शर्त के अधीन रहे हुए किसी भी समय तकनीकी सदस्य की नियुक्ति को समाप्त कर सकेगी ।";

(6) मूल नियमों के नियम 127 के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) प्रत्येक तिमाही के समापन की 10 तारीख तक परिषद को एक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।";

(7) मूल नियमों के नियम 138 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह कि जहां मालों को किसी एक राज्य में अवस्थित प्रधान द्वारा किसी अन्य राज्य में अवस्थित जाब वर्कर को भेजा जाता है तो ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद प्रधान द्वारा किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां हस्तशिल्प मालों का परिवहन एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे धारा 24 के खंड (i) और खंड (ii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है, ई-वे बिल का सृजन पारेषण के मूल्य के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" का वही अर्थ है जो उसका भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 32/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 1158 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी, में है ।";

(8) मूल नियमों में, 1 जुलाई, 2017 से, "**प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1**" में,-

(i) क्रम संख्या 5 (क) में शीर्ष में, "धारा 140(1)" शब्द, अंक और कोष्ठक के पश्चात् "धारा 140(4)(क) और धारा 140(9)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) क्रम संख्या 7(क) में, सारणी में, क्रम संख्या 7(अ) में शीर्ष में, "बीजक" शब्द के पश्चात् "(प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) सहित)" शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) "पदनाम/प्रास्थिति" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अनुदेश:

1. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 की उपधारा (9) के निबंधनों में केन्द्रीय कर प्रत्यय ।

2. प्रत्यय अंतरण दस्तावेज (सीटीडी) का फायदा उठाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति शीर्ष "इनपुट" के अधीन सारणी-7क में प्रत्यय का फायदा लेने के अतिरिक्त "**टीआरएएनएस 3**" को भी फाइल करेंगे ।";

(9) मूल नियमों में 1 जुलाई, 2017 से "**प्ररूप जीएसटीआर-4**" में, क्रम संख्या 8 में प्रविष्टि 8ख (2) में "अंतरराज्यीय प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "अंतराजयिक प्रदाय" शब्द रखे जाएंगे ;

(10) मूल नियमों में 30 अगस्त, 2017 से "**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01**" के टिप्पणों में, टिप्पण-4 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"5. प्रवेश बीजक के ब्यौरों को बीजक के स्थान पर वहां दर्ज किया जाएगा जहां पारेषण आयात से संबंधित है ।"

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी.)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 27/2017-केन्द्रीय कर तारीख 30 अगस्त, 2017, जो सा.का.नि. सं. ... (अ) तारीख 30 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया ।